न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत जाटावाली)

मु.न. 152 / 2016

उनवान

1. गंगाराम पुत्र स्व. श्री चन्दा, जाति मीणा निवासी डेहरा तन व ग्राम पंचायत जाटावाली तहसील चौमूं जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. गुल्लाराम पुत्र स्व. श्री चन्दा
2. भैंरूराम पुत्र स्व. श्री चन्दा
3. नारायण पुत्र स्व. श्री चन्दा
   समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम डेहरा तन ग्राम पंचायत जाटावाली तहसील चौमूं जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूँ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 10.05.2017

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट जाटावाली में पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 उपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट का पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी उपरोक्त पते का रहने वाला हैं, तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि जो कि वाके ग्राम डेहरा पटवार हल्का म्हारकलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित हैं, जिसका प्रार्थी एक मात्र खातेदार काश्तकार हैं तथा बतौर खातेदार उक्त भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करता आ रहा हैं।

वाके ग्राम डेहरा पटवार हल्का म्हारकलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर में प्रार्थी व अन्य खातेदारान की शामलाती खातेदारी भूमि स्थित थीं, जिसको प्रार्थी व अन्य सभी खातेदारान ने सन् 2013 में प्रशासन गांवो के संग अभियान में विधिसम्वत् तरीके से आपसी सहमती के आधार पर अपने–अपने कब्जे के अनुसार तकासमा करवा लिया था तथा उक्त तकासमे के आधार पर ही नामान्तकरण संख्या 540 के जरिये सभी खातेदारान की अलग–अलग खातेदारी खोलकर तकासमा कर दिया गया था तथा सभी खातेदारान अपने–अपने

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

हिस्से पर बंटवारे के अनुसार काबिज हो गये तथा प्रार्थी के हिस्से में आराजी भूमि खसरा नम्बर 525/1, 526/1, 524/3 कुल किता 3 का कुल रकबा 0.22 हैक्टेयर भूमि आई हैं, जिसके सम्पूर्ण भाग की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से दर्ज चली आ रही हैं, जिसका प्रार्थी ही एकमात्र खातेदार काश्तकार उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं तथा अपनी हक व स्वामित्व की खातदोरी भूमि के चारों ओर कच्ची खाम डोल व सुरक्षार्थ तारबन्दी कर रखी हैं, उक्त भूमि को ही इस प्रार्थना पत्र के अग्रिम मदों में "भूमि विवादग्रस्त" के नाम से सम्बोधित किया गया हैं।

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 के द्वारा आये दिन हैरान व परेशान करने तथा उसकी भूमि में काश्त नही करने देने पर अपनी एकमात्र खातेदारी भूमि में सीमाज्ञान करवानें हेतु तहसीलदार महोदय चौमूं को प्रार्थना पत्र दिया जिस पर तहसीलदार चौमूं के आदेश क्रमांक/भू.अ./16/2338 दिनांक 13.06.2016 के आदेशानुसार दिनांक 23.06.2016 को पटवारी हल्का जाटावाली ने मौके पर जाकर विधिसम्वत् तरीके से प्रार्थी की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान किया गया तथा फर्द मौका रिपोर्ट मौके पर तैयार की गई तथा मौके रिपोर्ट तैयार करने के पश्चात गवाहान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट बनाई तथा सीमाज्ञान रिपोर्ट में ही प्रार्थी की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान किया जाकर सीमाओं को फर्द मौके के साथ मौका रिपोर्ट में दर्शित किया। प्रार्थी ने उक्त सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी करवाने हेतु तहसीलदार महोदय चौमूं को प्रार्थना पत्र दिया, परन्तु बार–बार जाने के पश्चात भी आज तक तहसीलदार महोदय द्वारा पत्थरगढी नही की गई।

प्रार्थी ने सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी करवाने हेतु अप्रार्थी सं. 4 के कार्यालय में कई बार प्रार्थना पत्र दिये परन्तु तहसीलदार चौमूं द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी नही की गई एवं दिनांक 03.12.2016 को तहसीलदार महोदय चौमूं ने प्रार्थी को पत्थरगढी करने से साफ इन्कार करते हुयें कहा कि न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्थरगढी के आदेश करवाओं, उसके बाद ही पत्थरगढी होगी। इस कारण प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश करना लाजमी आया हैं।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवदेन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम डेहरा पटवार हल्का म्हारकलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर

चौमूं जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

525/1, 526/1, 524/3 कुल किता 3 का कुल रकबा 0.22 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 23.06.2016 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा उक्त विवादीत आराजीयात में फसल न हो तो उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2017 को मेरे द्वारा न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट जाटावाली में सुनाया गया।

(अशोक कुमार योगी)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner